भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 101*

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल

*101. श्री राजपालसिंह महेंद्र सिंह जादव:
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एएएम (आयुष) केन्द्र मई 2025 में जारी मेटाबोलिक डिसऑर्डर संबंधी मानक उपचार दिशानिर्देशों (एसटीजी) के अनुसार उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोगों के लिए मानकीकृत, साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल प्रदान कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के क्या परिणाम निकले हैं तथा आयुष और आधुनिक चिकित्सा द्वारा एक-दूसरे को की गई रेफरल दरों की किस प्रकार निगरानी की जाती है;

(ग) क्या सितम्बर, 2025 के क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन के परिणामों से यह पता चलता है कि राज्यों द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए संशोधित वित्तीय और संगठनात्मक सुधारों को अपनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने तथा निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए 7.5 लाख से अधिक आयुष चिकित्सकों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग कर रही है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 06 फरवरी, 2026 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 101* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, आयुष मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में 12500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) [एएएम (आयुष)] को अनुमोदित किया है और उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ये सभी कार्यशील हैं। ये एएएम (आयुष) योग सहित आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर समुदाय को समग्र कल्याण मॉडल प्रदान कर रहे हैं, जो उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) सहित विभिन्न सामान्य बीमारियों के लिए निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान देते हैं।

इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत, आयुष वर्टिकल ने केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सीएचईबी) के सहयोग से मेटाबॉलिक विकारों पर मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) जारी होने के बाद राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अक्टूबर 2025 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 152 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे एएएम (आयुष) सहित आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में एसटीजी की एक समान व्याख्या और रोलआउट का समर्थन करने के लिए राज्य-स्तरीय चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय संसाधन पूल का गठन हुआ।

(ख): भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-संस्थापन की कार्यनीति अपनाई है, जिससे मरीजों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के लिए विकल्प उपलब्ध हो सके। आयुष चिकित्सकों/चिकित्सा सहायकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा समर्थन दिया जाता है, जबकि आयुष मंत्रालय द्वारा एनएएम के तहत, आयुष अवसंरचना, उपकरणों/फर्नीचर और दवाओं के लिए साझा जिम्मेदारियों के रूप में समर्थन प्रदान किया जाता है। एनएचएम के तहत, सह-संस्थापित 13,094 आयुष सुविधाओं (6,206 पीएचसी, 3,133 सीएचसी, 472 डीएच, 3283 अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं) में आयुष को मुख्यधारा में लाया गया है और समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ग): नई दिल्ली में सितंबर 2025 में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष मंत्रालय और राज्य मंत्री, एमओएचएफडब्ल्यू के श्री प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण" विषय पर विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। विभागीय शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक चरण में मंत्रालय द्वारा अभिविन्यास सत्र आयोजित करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच कार्यशालाओं का आयोजन करना, अवधारणा नोट तैयार करना, नामित उप-विषय पर छह कार्य समूहों का गठन करना, जमीनी स्तर से प्रतिपुष्टि टिप्पणियां एकत्र करना और प्रमुख चुनौतियों, संभावित समाधानों और कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर प्रकाश डालते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य-विशिष्ट टिप्पणियां प्रस्तुत करना शामिल था।

विभागीय शिखर सम्मेलन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों, एमओएचएफडब्ल्यू के प्रख्यात विशेषज्ञों, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग, आयुष अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय संस्थानों, राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्होंने एनएएम

योजना के भावी विस्तार को आकार देने के लिए अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभागीय अधिकारियों से प्राप्त राज्य-विशिष्ट टिप्पणियों और प्रतिक्रिया टिप्पणियों पर गहन चर्चा हुई, जिसमें जमीनी स्तर के पदाधिकारियों से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी भी शामिल थी। तदनुसार, शिखर सम्मेलन ने संरचित क्षमता निर्माण, स्केलेबल मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और योजना मॉडल, कार्यक्रम प्रबंधन को सुदृढ़ करने, वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और अवसंरचना और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य-विशिष्ट रोडमैप विकसित करने जैसे कार्रवाई योग्य समाधान प्रस्तावित करके कार्यान्वयन के लिए कार्यनीतियों को तैयार किया। कुल मिलाकर, शिखर सम्मेलन ने एनएएम के माध्यम से लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी की परिकल्पना करने और उसे कार्यान्वित करने में आयुष मंत्रालय का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही इस क्षेत्र में निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा दिया।

(घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, विभिन्न आयुष उपचारों के माध्यम से निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल सहित समुदाय को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष चिकित्सकों का उपयोग करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की है। हालाँकि, मंत्रालय समुदाय को आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से एनएएम की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है, जिसमें आयुष अवसंरचना को सुदृढ़ करना, आयुष जनशक्ति के लिए समर्थन, आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं को दवाओं की आपूर्ति और आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
